स्प्री योजना में नियोक्ता-कर्मचारियों से पंजीकरण कराने की अपील

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्प्री योजना के तहत अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को स्व पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन देने की कवायद में जुटा हुआ है। जनसंपर्क अधिकारी संत कुमार पाण्डेय ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र के बीमा आयुक्त रामजीलाल मीना अहमदाबाद दौरे आए। मीना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्प्री योजना का उद्देश्य संस्थानों जैसे फैक्ट्रियों, सिनेमा हॉल, न्यूज एजेंसी, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान, नगर निगम या अन्य विभागों में रखे गए अपंजीकृत कांट्रैक्ट लेबर को स्व पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन देना है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। सभी नियोक्ताओं को 21 हजार रुपए से कम मजदूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को योजना में पंजीकृत नहीं कराया है, तो वे स्प्री योजना के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को ईएसआई में सौ प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकृत करा सकते हैं।